

FORM NO. T11

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)





लालचन्द

बनाम्

तहसीलदार

किसम मुकदमा - दावा अधा 88 आर टी एक्ट

मुकदमा नम्बर - 66 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
04 05 2023	<p>वादी की ओर से वकील श्री धर्मेन्द्र कुमार गुर्जर ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 25.05.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>	
25/5/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीता अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/5/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
23 ⁸ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीता अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-9-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
21-9-23	<p>पत्रावली आज पेश हुयी वकील वादी व पक्षकारण उपास्मित प्रकरण में कोई समाप्ति तक रुक-2 कर वार-2 भावाज मिलवायी जयी। वकील वादी व पक्षकारण दोनों उपास्मित होकर भयानक भयें हैं। अतः वकीलवादीगण व पक्षकारण ही उपास्मिती में दावा वाबत घोषणा एवं डुरस्ती रिपोर्ट (अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को भद्रम पेशकी व भद्रम एजरी में खारिज करके जाय है, पत्रावली केवल मुमाद होकर वाप तउमीत वापि इफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर, नागिराजाना </p>	